क्रम-संख्या–32(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 फरवरी, 2021

फाल्गुन 6, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

———

संख्या 435/36-3–2020-60(सा0)-18

लखनऊ, 25 फरवरी, 2021

———

अधिसूचना

प0आ0–69

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 20 सन् 1946) की धारा 15 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 1322/36-03–2019-60(सा0)-2018, दिनांक 27 जुलाई, 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवायोजन मॉडल स्थायी आदेश (द्वितीय संशोधन), 2020 प्रकाशित किया गया था;

और, चूंकि, कोई आपत्ति या सुझाव नियत समय के भीतर नहीं प्राप्त हुआ है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 20 सन् 1946) की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवायोजन मॉडल स्थायी आदेश, 1991 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित आदेश देती हैं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवायोजन मॉडल स्थायी आदेश (द्वितीय संशोधन), 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवायोजन मॉडल स्थायी आदेश (द्वितीय संशोधन), 2021 कहा जायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

खण्ड–3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवायोजन मॉडल स्थायी आदेश, 1991, जिसे आगे उक्त आदेश कहा गया है में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड–3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
3–कर्मकारों की श्रेणी विभाजन निम्न प्रकार होगाः–	3–कर्मकारों की श्रेणी विभाजन निम्न प्रकार होगाः–
(क) "स्थायी कर्मकार"–स्थायी कर्मकार ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा जो स्थायी प्रकृति के कार्य पर नियुक्त किया गया हो और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी कार्य के लिए निर्धारित अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुका हो;	(क) "स्थायी कर्मकार"–कोई स्थायी कर्मकार ऐसा कर्मकार होगा जो स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया हो और उसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में उसी या अन्य व्यवसाय में अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर चुका हो;
(ख) "प्रोबेशनर"–ऐसे कर्मकार को कहा जाएगा जिसे प्रारम्भ से ही किसी स्थायी रिक्ति की सम्पूर्ति के लिए नियुक्त किया गया हो और जिसने परिवीक्षा अवधि उस विशेष पद पर सन्तोषजनक रूप से पूरी नहीं की हो। स्थायी कर्मकार जिसे किसी नए पद या कार्य पर परिवीक्षा पर रखा गया हो, परिवीक्षा अवधि में किसी भी समय अपनी मूल नियुक्ति पर लिखित रूप में दिए गए आदेश द्वारा प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यदि ऐसा आदेश सेवायोजक ने हस्ताक्षरित किया हो और प्रोबेशनर को भी यह अधिकार होगा कि वह परिवीक्षा अवधि में किसी भी समय लिखित रूप से आवेदन–पत्र देकर अपने मूल स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित हो सके। एक प्रोबेशनर उस समय तक अपने मूल पद पर सेवा का अधिकार बनाए रखेगा जब तक उसे नए पद पर, जिसमें उसे परिवीक्षा पर रखा गया है, स्थायी नहीं कर दिया जाता। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के सात दिन पूर्व कर्मकार को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा कि उसे स्थायी कर दिया गया है, या उसकी परिवीक्षा अवधि अग्रतर बढ़ा दी गई है। यदि कर्मकार को स्थायी करने या परिवीक्षा अवधि बढ़ाने या असन्तोषजनक कार्य सम्पादन करने के फलस्वरूप उसकी सेवाएं समाप्त करने का लिखित आदेश प्रेषित नहीं किया जाता है, तो कर्मकार को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के दिनांक से उसके पद पर स्थायी कर दिया गया समझा जाएगा;	(ख) "प्रोबेशनर"–कोई प्रोबेशनर ऐसा कर्मकार है जो किसी स्थायी रिक्ति को भरने के लिए औपबंधिक रूप में नियोजित हो और वह उस व्यवसाय में अपनी परिवीक्षाधीन अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण न किया हो। किसी नये व्यवसाय में प्रोबेशनर के रूप में नियोजित किसी स्थायी कर्मकार को उसकी परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी समय उसके पुराने स्थायी पद पर सेवायोजक द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित आदेश द्वारा प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और ऐसा प्रोबेशनर उक्त परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी समय तद्निमित्त लिखित रूप में आवेदन करके अपने पुराने स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित होने की अपेक्षा कर सकता है। कोई प्रोबेशनर अपने पुराने स्थायी पद पर अपना धारणाधिकार और ज्येष्ठता तब तक प्रतिधारित करेगा जब तक वह अपने नये व्यवसाय में स्थायी नहीं किया जाता है। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के सात दिन पूर्व कर्मकार को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा कि उसे स्थायी कर दिया गया है, या उसकी परिवीक्षा अवधि अग्रतर बढ़ा दी गई है। यदि कर्मकार को परिवीक्षा अवधि बढ़ाये जाने या असन्तोषजनक कार्य सम्पादन के फलस्वरूप सेवाएं समाप्त करने का कोई आदेश संसूचित न किया गया हो तो उक्त कर्मकार समाप्त हुई परिवीक्षा अवधि के दिनांक से उक्त पद पर स्थायीकृत किया गया समझा जायेगा;
(ग) ''बदली कर्मकार''–ऐसा कर्मकार जो किसी परिवीक्षाधीन कर्मकार की अस्थायी अनुपस्थिति या अवकाश या अवधि में रखा गया हो या उसका नाम बदली रजिस्टर में दर्ज किया गया हो;	(ग) ''बदली कर्मकार''–कोई बदली कर्मकार ऐसा कर्मकार है जो स्थायी कर्मकार के पद पर नियोजित हो या ऐसा प्रोबेशनर है जो अवकाश पर या अन्यथा रूप से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो;
(घ) "अस्थायी कर्मकार"–अस्थायी कर्मकार ऐसा कर्मकार है जो प्रमुख रूप से किसी अस्थायी या आकस्मिक कार्य को पूरा करने के लिए रखा गया हो और ऐसा कार्य एक वर्ष से कम समय में पूरा होने का अनुमान हो या जो किसी स्थायी प्रकृति के कार्य में अस्थायी रूप से हुई वृद्धि के सम्बन्ध में सीमित अवधि के लिए लगाया गया हो, जो अवधि 06 माह से अधिक न हो, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कर्मकार, जो किसी	(घ) "अस्थायी कर्मकार"–कोई अस्थायी कर्मकार ऐसा कर्मकार है जो ऐसे किसी कार्य के लिये लगाया गया हो जो आवश्यक रूप में अस्थायी या आकस्मिक प्रकृति का हो और जिसके एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की सम्भावना हो या जो किसी स्थायी प्रकृति के कार्य में अस्थायी रूप से हुई वृद्धि के सम्बन्ध में अनधिक छः माह की सीमित अवधि के लिए लगाया गया हो :

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता हो लेकिन जिसे लगातार काम मिलता रहा हो और यदि बीच में कार्य में व्यवधान आया हो तो ऐसा व्यवधान कार्य होने पर भी जान बूझकर डाला गया हो, अस्थायी कर्मकार न माना जाएगा और उसे स्थायी घोषित किया जाएगा भले ही एक कलेण्डर वर्ष में उसने 240 दिन से कम की सेवा अवधि पूरी की हो;	प्रतिबंध यह है कि ऐसा कर्मकार, जो किसी निश्चित अवधि की नियुक्ति के आधार पर नियमित रूप से लगाया जाता हो और बीच में कार्य में व्यवधान आया हो यद्यपि कि कार्य विद्यमान रहा हो, अस्थायी कर्मकार नहीं समझा जायेगा और वह स्थायी किये जाने का हकदार होगा, भले ही वह एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से कम कार्य करता हो;
(ङ) ''शिशिक्षु''–वह कर्मकार है, जो शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगाया गया हो;	(ङ) ''शिशिक्षु''–कोई शिशिक्षु ऐसा कर्मकार है, जो शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगाया गया हो;
(च) "नियत अवधि कर्मकार''–एक ऐसा कर्मकार है, जिसे नियत अवधि के लिए वस्त्र उद्योग या निर्यातपरक उद्योग में संविदा पर नियोजन के आधार पर लगाया गया है। तथापि, उसके कार्य के घण्टे, मजदूरी, भत्ते और अन्य लाभ किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह भी स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों, को उसके द्वारा की गयी सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा, भले ही उसके नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित अर्हकारी नियोजन की अवधि तक नहीं बढ़ायी गयी है।	(च) "नियत अवधि कर्मचारी''– कोई नियत अवधि कर्मचारी ऐसा कर्मकार है, जिसे नियत अवधि के लिए नियोजन की संविदा के आधार पर लगाया गया है, तथापि, उसके कार्य के घण्टे, मजदूरी, भत्ते और अन्य लाभ किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध समस्त सांविधिक लाभों के लिये भी उसके द्वारा की गयी सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से पात्र होगा, भले ही उसकी नियोजन की अवधि संविधि में अपेक्षित अर्हकारी नियोजन अवधि तक न बढ़ायी गयी हो।

नया खण्ड 3क का बढ़ाया जाना

3–उक्त आदेश में खण्ड–3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

3क–किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई नियोजक, अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में विद्यमान स्थायी कर्मकार के पद को नियत अवधि नियोजन के रूप में सम्परिवर्तित नहीं करेगा।

खण्ड–18 का संशोधन

4–उक्त आदेश में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड–18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
18–सेवा समाप्ति 1–किसी भी कर्मकार की सेवा समाप्ति के पूर्व लिखित रूप से 30 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। यदि दी जाने वाली नोटिस इस अवधि की नहीं है तो अवशेष अवधि के बदले कर्मकार को नगद भुगतान किया जाएगाः प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसी सेवा समाप्ति किसी अधिनियम के अंतर्गत छंटनी की परिधि में आती हो तो अन्य कानूनी व्यवस्थाओं की प्रतिपूर्ति भी आवश्यक होगी।	**18– सेवा समाप्ति** 1–(क) किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति के लिये लिखित रूप से कम से कम 30 दिन की नोटिस आवश्यक होगी। यदि नोटिस उस अवधि से कम की होती है तो ऐसी अवधि के बदले में मजदूरी का भुगतान किया जाएगाः प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसी सेवा समाप्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन छंटनी की कोटि में आती हो तो अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा। (ख) नियत अवधि नियोजन के आधार पर नियोजित कोई कर्मकार संविदा या नियोजन के नवीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप या नवीकरण किये बिना ऐसी

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	संविदा अवधि के समाप्त हो जाने पर यदि उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है तो वह किसी नोटिस या उसके बदले में वेतन का हकदार नहीं होगा।
	(ग) यू0 पी0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अध्यधीन अस्थायी, प्रोबेशनरों और बदली कर्मकार के मामले में नियोजन समाप्ति की नोटिस आवश्यक नहीं होगी:
	प्रतिबंध यह है कि कोई अस्थायी कर्मकार, जो तीन माह की निरन्तर सेवा पूर्ण किया हो, को नियोजन समाप्त करने के आशय की दो सप्ताह की नोटिस दी जायेगी, यदि ऐसी समाप्ति, उसके नियोजन की संविदा के निबंधनानुसार न हो :
	प्रतिबंध यह और है कि जब किसी अस्थायी कर्मकार, जो तीन माह की निरंतर सेवा पूर्ण न की हो, की सेवायें, उसको दिए गए नियोजन की अवधि पूर्ण होने के पूर्व समाप्त कर दी जाती है, तो उसे समाप्ति के कारणों की लिखित रूप में सूचना दी जायेगी और जब किसी बदली कर्मकार की सेवायें स्थायी पदधारी के कार्य पर वापस लौटने से पूर्व या उसके (बदली) नियोजन की अवधि के समाप्त होने पर समाप्त कर दी जाती है तब उसको ऐसी समाप्ति के कारणों की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी:
	प्रतिबंध यह है कि अस्थायी कर्मकार की सेवायें, दण्ड स्वरूप तब तक समाप्त नहीं की जायेंगी जब तक कि उसे उसके विरूद्ध अधिकथित कदाचार के आरोपों के स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया जाय।
2–''प्रोबेशनर'', ''बदली'', ''अस्थायी'', ''शिशिक्षु'' कर्मकार अपना नियोजन बिना किसी नोटिस के कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ''प्रोबेशनर'', ''बदली'', ''अस्थायी'', ''शिशिक्षु'' कर्मकार का वेतन औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजन के दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा।	2–''प्रोबेशनर'', ''बदली'', ''अस्थायी'', ''शिशिक्षु'' या ''नियत अवधि कर्मकार'' अपना नियोजन, बिना किसी नोटिस के छोड़ सकता है। ऐसे किसी ''प्रोबेशनर'', ''बदली'', ''अस्थायी'', ''शिशिक्षु'' या ''नियत अवधि कर्मकार'' जो औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजन छोड़ दिया हो, को मांग किये जाने के दो दिन के भीतर भुगतान किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 435 /XXXVI-3–2020-60(sa.)-18 dated February 25, 2021:

No. 435 /XXXVI-3–2020-60(sa.)-18
Dated Lucknow, February 25, 2021

THE Uttar Pradesh Industrial Employment Model Standing Order (Second Amendment) Orders, 2020 was published by Government notification no. 1322/XXXVI-03–2019-60(sa.)-2018, dated July 27, 2020 with a view to invite objections and suggestions as required by sub-section (1) of section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (Act no. 20 of 1946);

AND WHEREAS, no objection or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 15 of the Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 (Act no. 20 of 1946) *read* with section 21 of the General Clause Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following order with a view to amending the Uttar Pradesh Industrial Employment Model Standing Orders, 1991.

UTTAR PRADESH INDUSTRIAL EMPLOYMENT MODEL STANDING (SECOND AMENDMENT) ORDERS, 2021

Short title and commencement

1. (1) This order may be called the Uttar Pradesh Industrial Employment Model Standing (Second Amendment) Orders, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of clause 3

2. In the Uttar Pradesh Industrial Employment Model Standing Orders, 1991 hereinafter referred to as the said order, *for* clause 3 set out in Column-1 below, the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*
3. Workmen shall be classified as follows:-	3. Workmen shall be classified as follows:-
(a) ‘‘permanent workmen’’ is a workman who has been engaged on a permanent basis and includes a person who has satisfactorily completed his probationary period in the same or another occupation in an industrial establishment;	(a) “Permanent workman” is a workman who has been engaged on a permanent basis and includes a person who has satisfactorily completed his probationary period in the same or another occupation in an industrial establishment;
(b) “Probationer”- A probationer is a workman who is provisionally employed to fill a permanent vacancy and has not satisfactorily completed his probationary period in that occupation.	(b) “Probationer”- A probationer is a workman who is provisionally employed to fill a permanent vacancy and has not satisfactorily completed his probationary period in that occupation.
A permanent workmen employed as a probationer in a new occupation may, at any time during his probationary period, be reverted to his old permanent post by an order, in writing, signed by the employer and such a probationer may also, at any time during the said probationary period, seek reversion to his old permanent post by making an application therefore in writing. A probationer shall retain his lien and seniority in his old permanent post as long as he is not made permanent in his new occupation.	A permanent workman employed as a probationer in a new occupation may, at any time during his probationary period, be reverted to his old permanent post by an order, in writing, signed by the employer and such a probationer may also, at any time during the said probationary period, seek reversion to his old permanent post by making an application therefore in writing. A probationer shall retain his lien and seniority in his old permanent post as long as he is not made permanent in his new occupation.

COLUMN-1 *Existing clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*
Seven days before the date of expiry of probationary period the workman shall be informed in writing that he has been confirmed or his probationary period has been extended further. In case no order has been communicated to the workmen or extending the period of probation or terminating the services for unsatisfactory performance, the workman shall be deemed to have been confirmed on the post with effect from the date the probationary period expired;	Seven days before the date of expiry of probationary period the workman shall be informed in writing that he has been confirmed or his probationary period has been extended further. In case no order has been communicated to the workmen or extending the period of probation or terminating the services for unsatisfactory performance, the workman shall be deemed to have been confirmed on the post with effect from the date the probationary period expired;
(c) "Substitute workman"- A substitute workman is a workman who is employed on the post of permanent workman, or a probationer, who is temporarily absent on leave or otherwise;	(c) "Substitute workman"- A substitute workman is a workman who is employed on the post of permanent workman, or a probationer, who is temporarily absent on leave or otherwise;
(d) "Temporary Workmen"- A temporary workmen is a workman who is engaged for a work which is essentially of a temporary or casual character likely to be finished within one year or who is engaged temporarily in connection with a temporary increased in a work of permanent nature for a limited period not exceeding six months:	(d) "Temporary Workmen"- A temporary workman is a workman who is engaged for a work which is essentially of a temporary or casual character likely to be finished within one year or who is engaged temporarily in connection with a temporary increased in a work of permanent nature for a limited period not exceeding six months:
Provided that a workman who is regularly engaged on term appointment basis with artificial breaks although work exists, would not be deemed to be a temporary workman and would be entitled to be made permanent even if he serves for less than 240 days in a calendar year;	Provided that a workman who is regularly engaged on term appointment basis with artificial breaks although work exists, would not be deemed to be a temporary workman and would be entitled to be made permanent even if he serves for less than 240 days in a calendar year;
(e) "Apprentice"-An Apprentice is a workman who has been engaged in an industrial establishment under the provision of Apprentices Act, 1961;	(e) "Apprentice"-An Apprentice is a workman who has been engaged in an industrial establishment under the provision of Apprentices Act, 1961;
(f) "Fixed Term employee"-A fixed term employee is a workman who has been engaged in textile industry or export oriented industry on the basis of contract of employment for a fixed period, however his working hours, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even though his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statue.	(f) "Fixed Term employee"-A fixed term employee is a workman who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period, however his working hours, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even though his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statue.

3. In the said order *after* clause-3 the following clause shall be *inserted*, namely :- Insertion of new clause-3A

3A. No Employer of an industrial establishment shall convert the post of permanent workman existing in his industrial establishment as fixed term employment.

4. In the said order, *for* clause-18 set out in Column-1 below the clause as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:- Amendment of clause-18

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing clause	*Clause as hereby substituted*
18. Termination of service	**18. Termination of service**
1. For termination of the services of a workman, notice in writing of at least 30 days shall be necessary. If the notice falls short of that period, wages *in lieu of* such period shall have to be paid:	**1. (a)** For termination of the services of a workman, notice in writing of at least 30 days shall be necessary. If the notice falls short of that period, wages *in lieu of* such period shall have to be paid:
Provided that if termination amounts to retrenchment under any law, for the time being in force, other legal requirements shall have to be complied with.	Provided that if termination amounts to retrenchment under any law, for the time being in force, other legal requirements shall have to be complied with;
	(b) No workman employed on fixed term employment basis as a result of non-renewal of contract or employment or on the expiry of such contract period without it being renewed, shall be entitled to any notice or pay *in lieu thereof*, if his services are terminated;
	(c) Subject to the provisions of the Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947, no notice of termination of employment shall be necessary in case of temporary, probationers and badli workmen :
	Provided that a temporary workmen who has completed three months continuous service, shall be given two weeks notice of the intention to terminate his employment if such termination is not in accordance with the terms of the contract of his employment:
	Provided further that when the services of a temporary workman, who has not completed three month's continuous service, are terminated before the completion of the term of employment given to him, he shall be informed of the reasons for termination in writing and when the services of a badli workman are terminated before the

COLUMN 1 *Existing clause*	COLUMN 2 *Clause as hereby substituted*
	return to work of the permanent incumbent or the expiry of his (badli's) term of employment, he shall be informed of the reasons for such termination in writing : Provided that the services of temporary workman shall not be terminated as a punishment unless he has been given an opportunity of explaining the charges of misconduct alleged against him.
2. A "Probationer", "Substitute", "Temporary", "Apprentice" or "Fix term employment" workman may leave the employment without notice. The wages due to a "Probationer", "Substitute", "Temporary" "Apprentice" or "Fix term employment" workman who has left the employment of the industrial establishment shall be paid within two days of a demand being made.	2. A "Probationer", "Substitute", "Temporary", "Apprentice" or "Fix term employment" workman may leave the employment without notice. The wages due to a "Probationer", "Substitute", "Temporary" "Apprentice" or "Fix term employment" workman who has left the employment of the industrial establishment shall be paid within two days of a demand being made.

By order
SURESH CHANDRA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 768 राजपत्र–2021–(1631)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 12 सा0 श्रम–(1632)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/ टी/आफसेट)।